सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 75/2018
बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1.मैसर्स जगदीश प्रसाद, ललित कुमार प्रोपराईटर ललित कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी ग्राम पोस्ट पावटा गुर्जर तहसील महवा जिला दौसा –ऋणी
2.लोकेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम पोस्ट पावटा गुर्जर तहसील महवा जिला दौसा –जमानतदार

...अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित :1. श्री इफ्तेखार खॉन अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा जिला दौसा ने अप्रार्थी श्री मैसर्स जगदीश प्रसाद, ललित कुमार प्रोपराईटर ललित कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी ग्राम पोस्ट पावटा गुर्जर तहसील महवा जिला दौसा को 1,00,000/– (रुपये एक लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्राथी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी।उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000 **की धारा 14** के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हुए गुणावगुण पर प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति भूमि एवं भवन जो ग्राम पोस्ट पावटा गुर्जर तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है, श्री ललित किशोर एवं श्री लोकेश कुमार के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व भगवत का मकान, पश्चिम सार्वजनिक धर्मशाला, उत्तर गोपाल खाती का बाडा, दक्षिण स्वयं की भूमि तथा सीताराम की दुकान है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांकः 12 फरवरी, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा